

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती के क्षेत्रों में,
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन,
(एसटीसी बिल्डिंग टॉल्स्टॉय मार्ग,
नई दिल्ली-110001

संख्या-ए-110018/01/2021-CAQM-6586-6590

दिनांक: 08 फरवरी, 2022

विषय: दिल्ली/ एन.सी. आर. में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 12 के तहत वायु प्रदूषण पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण करना – पॉवर जनरेटर सेटों के उपयोग के लिए विनियम ।

1. जबकि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम की धारा 03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन किया है (इसके बाद आयोग के रूप में संदर्भित)।
2. जबकि, अधिनियम की धारा 12 (1) के तहत आयोग को शक्तियां दी गयी है कि वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता के संरक्षण एवं सुधार के उद्देश्य से ऐसे सभी उपाय करें, निर्देश आदि जारी करें, जैसा कि वह आवश्यक या उचित समझे ।
3. जबकि, अधिनियम की धारा 12 (2) (v) के तहत आयोग के पास अधिकार है कि वह, किसी भी उद्योग, सञ्चालन या प्रक्रिया को चलाने वाले क्षेत्रों पर प्रतिबन्ध लगा सकता है जिसका क्षेत्र में वायु गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है
4. जबकि, अधिनियम की धारा 12(2)(xi) आयोग को अधिकार देती है कि वह किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को लिखित में निर्देश दे और ऐसे व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।
5. जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण से सम्बंधित मामले को बार-बार हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों और दिल्ली एन.सी.टी. सरकार विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य सरकारों/जी.एन.सी.टी.डी. के विभिन्न संगठनों के साथ आयोग ने उठाया है और एन.सी.आर. में वायु प्रदूषण कम करने के लिए प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर उपाय करने हेतु विभिन्न निर्देश / आदेश दिए हैं।
6. जबकि, आयोग इस बात पर प्रकाश डालता रहा है कि अन्य बातों के साथ, क्षेत्र में वायु गुणवत्ता को खराब करने में एक बड़ा कारण औद्योगिक संचालन सहित औद्योगिक प्रदूषण और अनियंत्रित ढंग से डीजल जेनरेटर(डी.जी.) सेट का विशेष योगदान है।
7. जबकि, एन. सी. आर. में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नवम्बर, 2017 में जी.आर.ए.पी. अधिसूचित किए थे जिसके तहत आयोग ने दिनांक 16, नवम्बर, 2017 को निर्देश संख्या 44 के तहत एन. सी. आर. में तहत आपातकालीन उद्देश्य के अलावा, डी. जी. सेटों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के निर्देश दिए ।

8. जबकि, मामलों में स्पष्टता प्रदान करने के लिए आपात कालीन उद्देश्यों / सेवाओं के लिए अपवाद स्वरूप डी. जी. सेटों का प्रयोग करने की अनुमति दी गयी थी जो कि आयोग के दिनांक 13.12.2021 के आदेश के तहत सूची बद्ध किए गये थे।

9. जबकि, बड़ी संख्या में उद्योग, संघ और व्यक्तिगत संस्थाओं ने आयोग के समक्ष प्रतिवेदन किया है कि केवल नियमित बिजली आपूर्ति की रूकावट के कारण ऐसी इकाइयों को मजबूर होकर डी.जी. सेट चलाना पड़ता है और यह कि डी. जी. सेट नियमित संचालन के लिए व्यवहार्य नहीं है।

10. जबकि, उक्त इकाइयों ने आगे निवेदन किया है कि कुछ निरंतर औद्योगिक प्रक्रियाएं और उत्पादन व्यवस्थाएं भारत में इन प्रोसेस इन्वेंटरी और आधे तैयार उत्पादों को उबारने के उद्देश्य और कई मामलों में विभिन्न सुरक्षा संबंधी सिस्टम/ उपकरणों के सञ्चालन के लिए निर्बाध बिजली की मांग करती है।

11. जबकि, कुछ संस्थाओं ने यह भी प्रतिवेदन किया है कि वे इसमें लगे हुए दूर संचार और डेटा सेवाएं जिनके लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है और इस प्रकार डी. जी. सेटों पर अत्यधिक निर्भरता हो जाती है।

12. जबकि, किये गये ऐसे अभ्यावेदनों/प्रस्तुतियों का आयोग में अध्ययन किया गया है और विचार –विमर्श किया गया है।

13. जबकि, क्षेत्रों में डी. जी. सेटों द्वारा किए गये वायु प्रदूषण को रोकना , नियंत्रित करना और कम करना भी बहुत जरूरी है।

अब, इसलिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा किये गये अभ्यावेदन /प्रस्तुतियों के मद्देनज़र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 12 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा निर्देशदिया गया है कि:

- (1) पूरे एन. सी. आर. में अपवाद के तौर पर आपातकालीन सेवाओं के लिए डी. जी. सेट संचालन की अनुमति होगी, जब कभी भी, जी. आर. ए. पी. के अधीन डी. जी. सेटों पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है, वह निम्नवत होगा :-
 - (i) विभिन्न प्रतिष्ठानों में लिफ्ट /एस्केलेटर/ट्रेवलेटरों आदि वाणिज्य संस्थाएँ/आवासीय समितियां, तथापि , सुनिश्चित करेंगी कि डी. जी. सेट का सञ्चालन और उससे आपूर्ति पुरी तरह से एलीवेटर/एस्कालाटर/ ट्रेवलेटरों आदि तक सीमित है। जो कि किसी अन्य वाणिज्यक संस्थाओं/आवासीय समितियों की कोई अन्य गतिविधियों पर लागू नहीं होगा।
 - (ii) चिकित्सा सेवाएँ (अस्पताल/नर्सिंग होम/स्वास्थ्य देखभाल सुविधायें) जीवन रक्षक चिकित्सा में शामिल इकाइयों सहित उपकरण एवं दवायें।
 - (iii) रेलवे सेवाएं/रेलवे स्टेशन ।
 - (iv) मेट्रो रेल कारपोरेशन और एमआरटीएस सेवाएं, जिनमें ट्रेनें और स्टेशनें शामिल हैं।
 - (v) हवाई अड्डे और अंतर राज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) ।
 - (vi) सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ।
 - (vii) जल पम्पिंग स्टेशन ।
 - (viii) राष्ट्रीय सुरक्षा , रक्षा और राष्ट्रीय महत्व से सम्बंधित परियोजनाएं ।
 - (ix) दूरसंचार और आई.टी./डाटा सेवाओं में शामिल संस्थाएं।

2. आयोग आगे निर्देश देता है कि अन्य क्षेत्रों और सेवाओं के लिए, वैकल्पिक बिजली का चयनात्मक उपयोग (बिजली आपूर्ति के अलावा DISCOMS के माध्यम से) उत्पादन सेटों के माध्यम से अनुमति दी जाएगी। जी. आर. ए. पी. के तहत प्रतिबन्ध की अवधि के लिए भी विनियमित किया जाएगा जो कि निम्नवत होगा:-

(क) जनरेटर सेट पूर्ण रूप से एल. पी. जी. /प्राकृतिक गैस/ बायोगैस/प्रोपेन/ बुटान पर चल रहे हैं, ऐसे जनरेटर सेट चलने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा: -

(ख) औद्योगिक क्षेत्रों में जहां गैस बुनियादी ढांचा और आपूर्ति उपलब्ध है, जनरेटर सेटों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी जो कि प्रतिदिन अधिकतम 2 घंटे के आधार पर आवश्यकताओं की बिजली आपूर्ति में रूकावट आदि की देखभाल के लिए होगा , बशर्त कि :-

- (i) डीजल जनरेटर सेट को उपयुक्त रूप से परिवर्तित किया गया है जो कि हाइब्रिड /द्वैल फ्यूल मोड में चलाया जा सके (70% गैस-आधारित इंधन के साथ और 30% डीजल के साथ)।

तथा

- (ii) ऐसे डीजल जनरेटर सेट में भी रेट्रोफिटिड एमिशन कंट्रोल डीवाईसेस (आरईसीडी) लगाये गये हैं जो कि सीपीसीबी द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनतम उपयोग में आने वाले डीजी सेट के लिए 800 के. डब्लू सकल विद्युत् श्रेणी में 70% न्यूनतम पी एम कैप्चर करने वाला है जो कि माननीय एनजीटी के निर्देशों के अनुपालन के तहत जारी किया गया है। जो कि इस सन्दर्भ में सीपीसीबी द्वारा जारी किया गया है। जो कि इस सन्दर्भ में सीपीसीबी द्वारा अधिकृत 05 परीक्षण एजेंसियों द्वारा एक वैध प्रमाणीकरण द्वारा रेट्रोफिट किया जाएगा (अर्थात ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया , पुणे, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेस्टिंग मानेसर, इंडियन इंडस्ट्रीज ऑफ पेट्रोलियम , देहरादून, इंडियन आयल कारपोरेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, फरीदाबाद और वाहन अनुसन्धान विकास स्थापना, अहमदनगर।
- (iii) अंतरालों (Intervals) का एक विस्तृत लॉग/डीजी सेटों के प्रयोग की समय – अवधि को व्यवस्थित रूप से रखा जाता है, अधिमानतः ऐसे डाटा को इलेक्ट्रॉनिक मोड में डी जी सेट में ही रखा जाता है।

(ग) औद्योगिक क्षेत्रों में भी जहां गैस पाइपलाइन बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं है, डी. जी सेटों को एक में चलाने के लिए रेट्रोफिट करने के प्रयास किए जाएंगे और एक दिन में अधिकतम दो घंटे रेट्रोफिटिड एमिशन कंट्रोल डिवाइस (आर ई सी डी) के साथ हाइब्रिड मोड में चलाया जाएगा। हालांकि औद्योगिक क्षेत्रों में जहाँ गैस पाइपलाइन बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं है, जहाँ हाइब्रिड मोड में चलाने के लिए डीजी सेट रेट्रोफिट नहीं किए गये हैं, उन्हें एक दिन में अधिकतम 01 घंटे चलाने की अनुमति होगी, बशर्ते कि ऐसे डीजीसेट सीपीसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार रेट्रोफिटिड एमिशन कंट्रोल डिवाइस (आरईसीडी) लगाये जाने चाहिए । साथ ही ऐसा रेट्रोफिटमेंट ऐसी एजेंसी के माध्यम से कराया जाना चाहिए, जिसके पास इनमें से किसी अधिकृत 05 में से उपरोक्त वैध प्रमाणीकरण अनुसार सी. पी. सी. बी. द्वारा होना चाहिए। और आगे के अनुसार 05 अधिकृत परीक्षण एजेंसियाँ उन अंतरालों के विस्तृत लागू के अधीन उपयोग किये गये डी जी सेट जो व्यवस्थित रूप से बनाए रखा जाता है। ऐसे डाटा को इलेक्ट्रॉनिक मोड में डीजी सेट, स्वयं कैप्चर करता है।

(घ) उपरोक्त सूची में दिए गये डीजल जनरेटर सेटों के अलावा जीआरएपी के अधीन प्रतिबंधित अवधि के दौरान किसी अन्य डीजी सेट सञ्चालन की अनुमति नहीं दी जाएगी, केवल आपातकालीन सेवाओं के अलावा उपरोक्त पैरा 01 में दिये गये या विशेष मामलों में आयोग के विशेष अनुमोदन द्वारा सञ्चालन किया जायेगा।

(III). आयोग के उपरोक्त निर्देशों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन की सुविधा के लिए , सम्बंधित बिजली वितरण कंपनियाँ और एनसीआर में जिम्मेदार एजेंसियाँ निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति , विशेष रूप से सर्दियों के महीने के दौरान करेंगी, ताकि बड़े पैमाने पर वैकल्पिक बिजली उत्पादन प्रणाली के कारण प्रतिकूल वायु गुणवत्ता को कम किया जा सके।

(iv) उपरोक्त निर्देश 01.10.2022 से सख्ती के साथ लागू होंगे। ऐसे समय तक मौजूदा दिशा निर्देश और आदेश से सम्बंधित जी.आर.ए.पी. के तहत डीजी सेट का प्रतिबंधित उपयोग मान्य होगा।

(v) निर्देशों के प्रभावी एवं सामयिक अनुपालन हेतु राज्य सरकार और राज्य प्रदूषण बोर्ड प्रिंट और सोशल मीडिया के द्वारा व्यापक प्रचार करेंगे और औद्योगिक संघों और अन्य हितधारकों के साथ बैठकें/बातचीत करेंगे।

(vi) इस निर्देश का पालन न करने पर डीजी सेटों को सील किया जा सकता है और या डीजी सेट का उपयोग करने वाले प्रतिष्ठानों को सील करने और पर्यावरण मुआवजा लगाना आदि प्रचलित कानूनों के तहत दंडात्मक कारवाई भी की जा सकती है।

हस्ता०
(अरविन्द नौटियाल)
सदस्य-सचिव
दूरभाष स: 011-23701197
ईमेल:अरविंद नौटियाल@गोव.इन

सेवा में

1. मुख्य सचिव , हरियाणा सरकार
2. एन. सी. आर., हरियाणा में स्थित सभी डिस्कोम(DISCOMS)
3. अध्यक्ष और सभी सदस्य , वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग , नई दिल्ली

प्रतिलिपि (एनओओ):

- 1.सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
- 2.सचिव, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(अरविन्द नौटियाल)
सदस्य-सचिव